दिनांक 09.05.2023 को उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार की अध्यक्षता में जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट (DMFT) के प्रबंधकीय समिति के बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति– पंजी में संधारित

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार के द्वारा सर्वप्रथम उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गई :–

1. लातेहार जिला एक अधिसूचित जिला है जो शिक्षा तथा खेल के क्षेत्र में अत्यंत ही पिछड़ा हुआ है। यहॉ छात्र/छात्राओं तथा खिलाड़ियों के लिए छात्रावास एवं स्पोर्ट्स छात्रावास की काफी कमी है जिसके कारण सुदूरवर्ती क्षेत्रों से जिला मुख्यालय में आकर पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पर्याप्त सुविधा नहीं रहने के कारण अनेक छात्र/छात्राएँ जिला से बाहर जाकर पढ़ाई करने को विवश हो जाते हैं अथवा पढ़ाई छोड़ देते हैं। डी0एम0एफ0टी0 के प्रबंधकीय समिति की बैठक में निर्णय लिया कि झारखण्ड गजट संख्या 134 दिनांक 10.02.2017 के कंडिका 3 (iv) में निहित प्रावधान के अनुसार एक करोड़ से अधिक एवं पॉच करोड़ तक की प्रशासनिक स्वीकृति प्रमंडलीय आयुक्त के स्थान पर DMFT के प्रबंधकीय समिति द्वारा दिया जाना है। उक्त के आलोक में इसके समाधान हेतु निम्नलिखित योजनाओं का निर्माण डी0एम0एफ0टी0 मद से कराने हेतु प्रबंधकीय समिति के द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया :–

   i) बालिका छात्रावास (100 बेड), पुराना पुलिस लाईन, धर्मपुर – 3,60,69,900.00

   ii) स्पोर्ट्स बालिका छात्रावास (100 बेड), पुराना पुलिस लाईन, धर्मपुर– 3,60,69,900.00

   iii) बालक छात्रावास (100 बेड), गोवा, लातेहार –3,60,69,900.00

   iv) अनुसूचित जाति बालक छात्रावास (100 बेड), लातेहार – 3,62,20,000.00

2. ग्राम सभा के माध्यम से प्राप्त 534 नई योजनाओं के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रबंधकीय समिति के सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से किया गया।

3. जिला अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से चिकित्सालय निर्माण किया गया है जहॉ चिकित्सक, चिकित्सा कर्मी एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराया जाना है। अनुबंध के आधार पर एक वर्ष के लिए डी0एम0एफ0टी0 गाईडलाईन का अक्षरशः अनुपालन करते हुए चिकित्सक एवं अन्य पारा चिकित्सा कर्मी के संविदा के माध्यम से विभिन्न पदों पर

नियुक्ति करने एवं भविष्य में आवश्यकतानुसार चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों की सेवा लिए जाने पर प्रबंधकीय समिति के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

(अनुपालन : सिविल सर्जन, लातेहार एवं डी0एम0एफ0टी0 पी0एम0यू0)

4. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार के द्वारा हाथी विचरण क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांवों में लोगों के जीवन की रक्षा हेतु Smart Announced Systme अधिष्ठापित किया जा सकता है ताकि जंगली हाथियों से फंसे व्यक्तियों को संसूचित किया जा सके। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार के माध्यम से चिन्हित गॉव की सूची उपलब्ध कराने एवं ग्राम सभा से प्रस्ताव प्राप्त करते हुए Smart Announced Systme अधिष्ठापित कराने का निर्णय समिति के सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से करने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालन : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार)

5. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकाश की व्यवस्था होने पर जंगली हाथियों के आवागमन की संभावना कम होती है। हाथी विचरण क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांवों में High Mast Light अधिष्ठापित किया जा सकता है। प्रभारी पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0 को जेडा से पत्राचार करते हुए High Mast Light अधिष्ठापित कराने का निर्णय समिति के सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

(अनुपालन : प्रभारी पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार)

6. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार के द्वारा हाथी विचरण क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांवों में जान–माल की रक्षा हेतु रक्षा छत के निर्माण कराने के प्रस्ताव रखा गया। चिन्हित गॉवों से उक्त के संदर्भ में प्रस्ताव प्राप्त कर इस प्रकार की संरचना का निर्माण कार्य कराने का निर्णय प्रबंधकीय समिति के सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।

(अनुपालन : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार)

7. उपायुक्त, लातेहार के द्वारा अवगत कराया गया कि अनेक योजनाओं में निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के बावजूद संबंधित कार्यकारी एजेन्सी के माध्यम से 10% राशि कटौती का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो रहा है जो PWD Code का स्पष्ट उल्लंघन है। भविष्य में कार्य समाप्ति के उपरांत जिओटैग फोटोग्राफ की तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि मानते हुए भुगतान करने का निर्णय प्रबंधकीय समिति के सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

(अनुपालन : सभी कार्यकारी एजेन्सी)

8. पर्यावरण एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशील बनाने हेतु विशेषज्ञ की सहायता से कार्यशाला आयोजित कराने के प्रस्ताव पर नगर पंचायत क्षेत्र के प्रतिनिधियों एवं जिला/पंचायत प्रतिनिधियों/पंचायत सेवकों का संबंधित विषय पर एक कार्यशाला आयोजित कराने का निर्णय सर्वसम्मति से प्रबंधकीय समिति के द्वारा लिया गया।

(अनुपालन : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार)

9. डी0एम0एफ0टी0 मद में प्राप्त राशि के आय–व्यय से संबंधित आंतरिक अंकेक्षण करने का निर्णय सर्वसम्मति से प्रबंधकीय समिति के सदस्यों के द्वारा लिया गया।

(अनुपालन : प्रभारी पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0 एवं उप विकास आयुक्त, लातेहार)

10. नगर भवन, लातेहार में प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण हेतु सामग्री प्रोजेक्टर, साउण्ड सिस्टम आदि का अधिष्ठापन डी0एम0एफ0टी0 मद से कराने का निर्णय सर्वसम्मति से प्रबंधकीय समिति के सदस्यों के द्वारा लिया गया।

(अनुपालन : प्रभारी पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार)

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

प्रभारी पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार।	उप विकास आयुक्त, लातेहार	उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार।

ज्ञापांक 197/डी0एम0एफ0टी0, दिनांक 06/06/2023

प्रतिलिपि :– डी0एम0एफ0टी0 प्रबंधकीय समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार/महुआडांड/जिला खेल पदाधिकारी/जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी कार्यकारी एजेंसी, लातेहार जिला/डी0पी0एम0, जे0एस0एल0पी0एस0, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार।	उप विकास आयुक्त, लातेहार	उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार।